तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अपील संख्या 11/2020 बअनवान ढेलीदेवी बनाम धनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित एवं रेस्पोडेंटस बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी अपीलांट की पैतृक संपति होने से अपीलांट अपने नाम विरासतन नामांतकरण खुलवाने के लिए स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण भरने की छुट प्रदान की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की अपील पर एकतरफा बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट के नाम विचाराधीन विरासतन नामांतकरण संख्या 647 जो स्व. हुकमाराम के फौत होने पर उसकी प्रथम श्रेणी की वारिशान उसकी एकमात्र बहिन अपीलांट ढेलीदेवी के नाम खौला गया जिस पर रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा आपति करने पर ग्राम पंचायत आकोड़ा द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। मामला प्रथम दृष्ट्या; सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 11/2018 बअनवान धनाराम वगै. बनाम ढेलीदेवी वगै. मे पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 को अपास्त किया जाता है। विचाराधीन ग्राम दूधवा खुर्द के नामांतकरण संख्या 647 के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/तहसीलदार चौहटन स्वतंत्र है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	